# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 1775/2024**

डॉ. नन्दकिशोर शर्मा **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, आयुर्वेद, योग एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर।
3. डॉ. विनोद कुमार शर्मा, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्साधिकारी–1, राजकीय आयुर्वेद औषधालय, बढेर, अलवर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 13.05.2024
**आदेश की दिनांक** : 04.06.2024

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक
**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 एवं 07.05.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर राजकीय आयुर्वेद औषधालय, सिरसी, जयपुर

में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान से ब्लॉक आयुष चिकित्सालय, पावटा, जयपुर किया गया और अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को समंजित करने के आशय से पदस्थापित किया गया, जिसे अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई और माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 18.03.2024 को आदेश पारित करते हुये यह निर्देश दिये गये कि अपीलार्थी अभ्यावेदन प्रस्तुत करे और प्रत्यर्थी विभाग दो सप्ताह में गुणावगुण के आधार पर निस्तारित करे तथा निस्तारण होने तक आलोच्य आदेश का क्रियान्वयन स्थगित रहेगा, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की असाध्य बीमारी जैसे गुर्दा प्रत्यारोपण एवं उपचार पर बिना विचार किये उसके अभ्यावेदन को आदेश दिनांक 07.05.2024 के द्वारा खारिज कर दिया गया, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ है, जो असाध्य बीमारी के अंतर्गत आता है, जिसका जयपुर में निरंतर उपचार चल रहा है। अपीलार्थी को गुर्दा उसकी मां के द्वारा दिया गया है, उक्त बीमारी की जांच के लिये हर माह बाहर से डॉक्टर आता है, जिसके द्वारा चैकअप होता है और इस प्रकार अपीलार्थी का निरंतर उपचार चल रहा है, जो अनुलग्नक–3 से प्रकट होता है। बहस के दौरान उनका यह भी कथन है कि राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण संबंधी प्रस्तावित दिशा–निर्देश के बिंदु संख्या 3 में स्पष्ट है कि असाध्य रोग जैसे कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा जैसी बीमारियों से पीडित कार्मिकों का स्थानान्तरण पर विशेष ध्यान रखा जावे। उनका कथन है कि उक्त दिशा–निर्देश के बावजूद भी अपीलार्थी के उक्त बीमारी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नजरअंदाज करते हुये जयपुर जिले से कोटपूतली जिले में स्थानान्तरण किया गया है, जहां पर उक्त बीमारी से संबंधित उपचार हेतु कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। उनका कथन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1243/2022 में एस.के.नौशाद रहमान व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2022 की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें इस प्रकार के गंभीर बीमारियों से पीडित कार्मिकों को उनके परिवार से दूर नहीं रहने को उचित माना है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण जहां किया गया है, वहां उक्त बीमारी के उपचार से संबंधित सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार जारी किया गया स्थानान्तरण आदेश एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को निरस्त किये जाने के संबंध में

जारी किया गया आदेश उक्त स्थानान्तरण नीति एवं न्यायिक विनिश्चियों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 एवं 07.05.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण नियमानुसार किया गया है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार नहीं है। स्थानान्तरण आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर राजकीय आयुर्वेद औषधालय, सिरसी, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान से ब्लॉक आयुष चिकित्सालय, पावटा किया गया, जो वर्तमान में जिला कोटपूतली में आता है। अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के आदेश दिनांक 18.03.2024 के क्रम में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की असाध्य बीमारी जैसे गुर्दा प्रत्यारोपण एवं उपचार पर बिना विचार किये उसके अभ्यावेदन को आदेश दिनांक 07.05.2024 के द्वारा खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरण आदेश दिनांक 20.02.2024 को पूर्व में अपील संख्या 1007/2024 में चुनौती दे चुका है एवं अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 18.03.2024 द्वारा निस्तारित किया जा चुका है। अतः स्थानान्तरण आदेश को फिर से चुनौती देने का कोई विधिक आधार नहीं है। जहां तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी ने अपील में उठाये आधारों पर अभ्यावेदन का गहनता से विचार न कर साधारण रूप से खारिज किये जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश दिनांक 07.05.2024 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार निस्तारित करते हुये आदेश जारी किया गया है। अभ्यावेदन निस्तारण हेतु जारी आदेश दिनांक 07.05.2024 में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। इसमें समस्त तथ्यों का विवेचन एक आख्यात्मक आदेश पारित किया है। इस प्रकार

अपीलार्थी के तर्कों में हम कोई बल नहीं पाते हैं। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**